

(13)

उत्तराखण्ड शासन,  
आवास विभाग,

संख्या- 827/V-2/2016-06(आ0)/2016  
देहरादून: दिनांक 02 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में मेट्रो रेल/मोनो रेल एवं भवन निर्माण आदि के नियोजन, निर्माण, सुधार, विकास, प्रबन्धन, नियंत्रण तथा रख-रखाव हेतु अधिसूचना संख्या-430/V-2/2016-06(आ0)/2016, दिनांक: 16 मार्च, 2016 द्वारा "उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड" का गठन Companies Act, 2013 के अन्तर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- "उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड" के निदेशक मण्डल के चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

- |     |  |         |
|-----|--|---------|
| (1) | मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन                  | अध्यक्ष |
| (2) | सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य   |
| (3) | सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन           | सदस्य   |
| (4) | सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन            | सदस्य   |

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम  
सचिव।

संख्या- 827/V/आ0-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- (2) निजी सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- (3) निजी सचिव, वित्त विभाग को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- (4) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- (5) मुख्य प्रशासक, आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- (6) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- (7) गार्ड बुक।

JCA

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव।

53  
3-6-16  
8/8

CA  
6/16